

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

संचिका सं० - मं०मं०-02/स्था०-4067/2011.....पटना-15, दिनांक....., 2011

अधिसूचना

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-सी०एस० 1/ए1-1010/93-1070 दिनांक-15.04.1993 के आलोक में अवमाननावाद से संबंधित मुकदमे के संदर्भ में अधिवक्ता/अधिवक्ताओं को देय शुल्क के निर्धारण हेतु Standing Committee का गठन निम्नवत किया जाता है :-

1. वित्त आयुक्त/प्रधान सचिव, वित्त विभाग - सदस्य
2. सचिव, विधि विभाग - सदस्य
3. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग - संयोजक

2) Standing Committee के अध्यक्ष वरीयतम प्रधान सचिव/सचिव होंगे।

3) Standing Committee, अधिवक्ता/अधिवक्ताओं को देय शुल्क के संबंध में ठोस आधार के साथ विचार करेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - मं०मं०-02/स्था०-4067/2011.....पटना-15, दिनांक....., 2011

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सचिव, विधि विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(उपेन्द्र कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक - मं०मं०-02/स्था०-4067/2011.....1597 पटना-15, दिनांक 8/11/2011

प्रतिलिपि - महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(उपेन्द्र कुमार)

सरकार के अपर सचिव

8-11-11